



भा.कृ.अ.प - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान  
शिमला-171001, हि.प्र. (भारत)  
ICAR-Central Potato Research Institute  
(Indian Council of Agricultural Research)  
SHIMLA 171 001. HP



पंजीकृत

संख्या एफ.10-13/2018/स्था.11/  
सेवा में,

15377

दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

निदेशक (कार्मिक),  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,  
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़,  
नई दिल्ली-110001।

विषय : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात वैज्ञानिकों का पेंशन परिशोधन।  
महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आपके दिनांक 29 अगस्त, 2018 के पत्रांक 1-4/2009-कार्मिक IV द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पश्चात दिनांक 01.01.2016 से वैज्ञानिकों के पेंशन परिशोधन किए जाने के हेतु कार्यवाई किए जाने के लिए लिखा गया है। जिसके तहत MoHRD द्वारा जारी दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार वैज्ञानिकों के पेंशन परिशोधन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त संदर्भ में संस्थान द्वारा दिनांक 19 सितम्बर एवं 12 अक्टूबर, 2018 को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके तहत अनुरोध किया गया था कि वैज्ञानिकों को UGC के वेतनमान लागू किए गए हैं तथा निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 06.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2018-P&PW(A) के तहत जो concordance table परिचालित की गई है वे वैज्ञानिकों के UGC वेतनमानों के अनुसार नहीं हैं। जिसके कारण वैज्ञानिकों के पेंशन परिशोधन की कार्यवाई नहीं हो पा रही है तथा वे सभी बार-बार इस संदर्भ में कार्यवाई करने हेतु अनुस्मारक दे रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि वैज्ञानिकों के पेंशन परिशोधन हेतु संस्थान का मार्गदर्शन करने तथा लागू की जाने वाली concordance table प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय

(रत्नेश कुमार)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः 1. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।  
2. प्रमोरी, AKMU, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को पेंशनर कोर्रनर पर अपलोड करने हेतु।

(रत्नेश कुमार)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी